न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 85/2017

अजीत कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीशचन्द्र उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री रामलाल जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव
2. सिरबती देवी उम्र 48 वर्ष पत्नी जगदीशचन्द्र तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कविता उम्र 28 वर्ष पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव
5. प्रदीप पुत्र बद्रीप्रसाद तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा पत्नी सुरेश पुत्री बद्रीप्रसाद जाति जाट साकिन मोरजण्डा खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. एचडीएफसी बैंक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक	–– प्रार्थी
2. श्री हीरालाल बिरथलिया	––अप्रार्थी संख्या 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा	–– अप्रार्थी सं. 8

निर्णय :–

दिनांक:– 27/10/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक है प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना ळें यह कि जहां तक प्रा. पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पक्षकार प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के पड़दादा लेखराम पुत्र गंगाराम [illegible] वाके 28 एसटीजी वर्तमान चक 28 एसटीजी–ए में मु. खाता सं. 31/54 के [illegible] 36/316, 36/320, 38/320, 38/322, 38/323, 36/323, 38/324 की 1 [illegible] मेली द्वितीय में 1319¼ हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। चित्रप्रति जमाबदी चक 28 एसटीजी सं. 2018 सलग्न प्रार्थना पत्र है

यह कि श्री लेखराम के फौत होने के बाद उनके पुत्रों रामलाल, हजारीराम वगैरा के मध्य घरू बंटवारा हो गया था। इस घरू बंटवारा में दादा रामलाल के पुत्र अप्रार्थी सं. 1 को सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 28 एसटीजी – ए के खाता सं. 31/29 के प.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 38/323 (30) किला नं. 15/2, 16/1, 17 की 0.581 हैक. नाली द्वितीय मय रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्राप्त हुई जो राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज हुई व इसी चक 28 एसटीजी – ए के खाता सं. 21/20,56 के प. नं. 38/324 (39) किला नं. 19 ता 24, 25/2 की 1.644 हैक. नाली द्वितीय मय रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्राप्त हुई जो उनके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न चक 28 एसटीजी–ए सं. 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 सयुक्त रहते हुए एक सयुक्त हिन्दू परिवार कायम करते है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को सयुक्त काश्त करते है। प्रार्थी बतौर सहदायिकी इस परिवार का सदस्य है। प्रार्थी नें अपनी मेहनत एवं कमाई से तथा इस भूमि की सयुक्त काश्त से तहसील पीलीबंगा के चक 3 एनआर के खाता सं. 10/8 के प. नं. 37/325 (3) किला नं. 24, 25/2 की 0.405 हैक. कमांड खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 49/48 के प.नं. 37/325 (3) किला नं. 16, 25/1 की 0.354 हैक. कमांड खातेदारी कृषि भूमि अर्जित कर इस सयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया अपने पिता अप्रार्थी सं.1 के नाम बैयनामा करवाकर राजस्व अभिलेख में अकॅन करवा दी। चित्रप्रति जमाबंदी चक 3 एनआर सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 ब.हि.ब. के हकदार एवं खातेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा की 5 में वर्णित चक 3 एनआर की कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा अपनी मेहनंत एवं सयुक्त परिवार की कमाई से अर्जित की गई सयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। इस भूमि में प्रार्थी का बतौर सहदायिकी 1/2 हिस्सा का हक हिस्सा है। इसलिये पिता अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज चक 28 एसटीजी–ए के खाता सं. 31/29 की 0.581 हैक. में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानी 0.2905 हैक. में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानी 0. 097 हैक., इसी चक के खाता सं. 21/20, 56 की 1.644 हैक. में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानी 0.822 हैक. में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानी 0. 274 हैक. व चक 3 एनआर के खाता सं. 10/8 की 0.405 हैक. में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 49/48 की 0.354 हैक. में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा पर हक निहित है।

यह कि प्रशनगत भूमि का अभी विधिवत खाता विभाजन नही हुआ है। यह भूमि सयुक्त खाता की है। जिस पर प्रत्येक सह खातेदार व सह काश्तकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा काश्त है। जब तक इस भूमि का विभाजन नही होता तब तक पक्षकारान के मध्य सीव, बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। अप्रार्थी सं. 1 जो प्रार्थी के पिता है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नही है। प्रार्थी के पिता अब भी प्रार्थी के पास रह रहे है परन्तु वे अन्य लोगों के बहकावे में है व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्तियों को रहन बैय करने की फिराक में है। प्रार्थी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नही है। यदि अप्रार्थी सं.1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रशनगत भूमि बाबत प्रार्थी के हको के विपरीत कोई [illegible] निष्पादित नही करे तथा इस भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 28 एसटीजी–ए के खाता सं. 31/29 के प.नं. 38/323 (30) किला नं. 15/2, 16/1, 17 की 0.581 हैक. नाली द्वितीय मय रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा व इसी चक 28 एसटीजी–ए के खाता सं. 21/20,56 के प.नं. 38/324 (39) किला नं. 19 ता 24, 25/2 की 1.644 हैक. नाली द्वितीय मय रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा व चक 3 एनआर के

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खाता सं. 10/8 के प.नं. 37/325 (3) किला नं. 24, 25/2 की 0.405 हैक. कमांड खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 49/48 के प.नं. 37/325 (3) किला नं. 16, 25/1 की 0.354 हैक. कमांड खातेदारी कृषि भूमि बाबत प्रार्थी के हको के विपरीत कोई दस्तावेज निष्पादित एवं पंजीबद्व न करे तथा इस कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई जिसपर दिनांक 02.08.17 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा अधिवकता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना मिन अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्न प्रकार है–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र पेश होने की हद तक स्वीकार है । शेष कथन अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी को उक्त अनवान सदर के बाद पत्र में किसी किस्म से कोई सफलता हासिल नही होगी क्योंकि प्रार्थी ने तथाकथित एवं शुन्य वाद पत्र पेश किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है जिसका सिद्ध भार प्रार्थी पर है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे श्री लेखराम पुत्र गंगाराम के नाम वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है । मिन अप्रार्थी के द्वारा चक 28 एसटीजी–ए के प.नं. 38/324 की 1.644 हैक. मे से 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये पंजीकृत वैयनामा दिनांक 18.11.2011 को कृष्णचन्द्र मदनलाल पि. कानाराम से खरीदशुदा है । शेष कृषि भूमि चक 28 एसटीजी के प.नं. 38/323 के किला नं. 15/2, 16/1, 17/1 की 0.581 हैक. भूमि मे से 1/2 हिस्सा बरूये तमीलकनामा लेखराम पुत्र गंगाराम से दिनांक 19.07.1972 को प्राप्त हुई है । उक्त वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी की स्वयंअर्जित कृषि भूमि है । उक्त भूमि मे मिन अप्रार्थी के जीवनकाल मे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही बनता है । चित्रप्रति वैयनामा व तमीलकनामा संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अविधिक असत्य होने के कारण अस्वीकार है । प्रार्थी ने अपनी मेहनत की कमाई से चक 3 एनआर के खाता सं. 8 के प.नं. 37/325 के किला नं. 24, 25/2 की 0.405 हैक., खाता सं. 49 के प.नं. 37/325 के किला नं. 16, 25/1 की 0.354 हैक. भूमि कुल तादादी 0.759 हेक. भूमि खरीद करके मिन अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाई है असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि उक्त भूमि मिन अप्रार्थी के द्वारा अपनी मेहनत से जरिये पंजीकृत वैयनामा दिनांक 07.04.2011 को कौर सिंह वगैरा से खरीद की है । उक्त कृषि भूमि के खरीद मे प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिफल राशि मिन अप्रार्थी को नही दी है । मात्र प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी को मानसिक व शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश से मिन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित कृषि भूमि को पैतृक कृषि भूमि का अंकन करके शुन्य वाद पत्र पेश किया है जो कि काबिल खारिज योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अविधिक असत्य एवं मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि जबाव प्रार्थना पत्र की दफा 4–5 में वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित खरीदशुदा सम्पत्ति है । उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि मे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई योगदान नही है । स्वयं अर्जित भूमि मे प्रार्थी मिन अप्रार्थी के जीवनकाल मे किसी प्रकार की घोषणा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पाने का अधिकारी नही है । प्रार्थी का मानसिक संतुलन ठीक नही है इसी कारण तथ्यों को रंगत देने के लिए प्रार्थी द्वारा वाद पत्र असत्य तथ्यों को दर्शाया गया है जिनका कोई आधार नही है । प्रार्थी का जबाव प्रार्थना पत्र की दफा 4–5 मे वर्णित भूमि जो मिन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि मे प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा अप्रार्थी के जीवनकाल तक प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। जबाव प्रार्थना की दफा 4–5 में अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित रकबा मे प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई विधिक अधिकार हासिल नही है, न ही प्रश्नगत रकबा पर प्रार्थी किसी रूप से काबिज काश्त हो सकता है । प्रश्नगत रकबा पर मिन अप्रार्थी का खरीद के समय से ही कब्जा बिना किसी विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी मिन अप्रार्थी ने फसल काश्त की हुई है। प्रार्थी स्वयं सक्षम है कि वह अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ है। मिन अप्रार्थी अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तांरण करने के अधिकार बतौर मालिक के हासिल है जिसमे अप्रार्थी के जीवनकाल तक किसी अन्य वारिसान का कोई हक हिस्सा निहित नही है । मिन अप्रार्थी के स्वयं अर्जित रकवा मे प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमय क्षति नही हो रही है। प्रार्थी ने मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए मनगढ़त तथ्य वाद पत्र मे पेश किया है जिनका कोई आधार नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2,3,5 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है। अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र. सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनर्फम की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तांरण करने के अधिकार बतौर मालिक के हासिल है जिसमे अप्रार्थी के जीवनकाल तक किसी अन्य वारिसान का कोई हक हिस्सा निहित नही है इस लिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय [illegible] मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक [illegible].08.2[illegible] को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील ज[illegible] दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 27/10/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा